न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 266/2024

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रभावती पत्नी गिरधारी सिंह माली निवासी–हीराला बेरा, पूंजला जोधपुर		1. मोहन सिंह 2. नरपत सिंह 3. चन्द्र सिंह 4. गिरधारी सिंह (पुत्रान सावलराम जाति माली निवासी–हीराला बेरा, पूंजला, जोधपुर) 5. विमला पुत्री सावलराम पत्नी संतोकसिंह माली, निवासी बावडी बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर 6. राजू पुत्री सावलराम पत्नी जितेन्द्र सिंह माली, निवासी टांको का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर 7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) दिनांक 21.06.2024 राजस्व प्रथम अपील सं0 19/2019 अनवान मोहनसिंह व अन्य बनाम गिरधारीसिंह वगैरा अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 403 दिनांक 4.6.19

उपस्थित–
1. श्री किसनाराम विश्नोई, वकील अपीलांट्स
2. श्री देवीसिंह भाटी वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7

निर्णय

दिनांक 05.12.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 19/2019 अनवान मोहनसिंह व अन्य बनाम गिरधारीसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 21.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 266/2024

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रभावती पत्नी गिरधारी सिंह माली निवासी–हीराला बेरा, पूंजला जोधपुर		1. मोहन सिंह 2. नरपत सिंह 3. चन्द्र सिंह 4. गिरधारी सिंह (पुत्रान सावलराम जाति माली निवासी–हीराला बेरा, पूंजला, जोधपुर) 5. विमला पुत्री सावलराम पत्नी संतोकसिंह माली, निवासी बावडी बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर 6. राजू पुत्री सावलराम पत्नी जितेन्द्र सिंह माली, निवासी टांको का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर 7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) दिनांक 21.06.2024 राजस्व प्रथम अपील सं0 19/2019 अनवान मोहनसिंह व अन्य बनाम गिरधारीसिंह वगैरा अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 403 दिनांक 4.6.19

उपस्थित–
1. श्री किसनाराम विश्नोई, वकील अपीलांट्स
2. श्री देवीसिंह भाटी वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7

निर्णय

दिनांक 05.12.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 19/2019 अनवान मोहनसिंह व अन्य बनाम गिरधारीसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 21.06.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील जोधपुर स्थित ग्राम बालाकुआ के खसरा नं0 84 रकबा 60.15 बीघा भूमि सांवलराम पुत्र रामबक्ष माली सा0 देह खातेदार, शेष बदस्तूर दर्ज थी। खातेदार सांवलराम दिनांक 5.10.18 एवं इनकी पत्नी अणदीदेवी दिनांक 7.12.18 को फौत हो जाने पर विरासत का ना0क0सं0 403 दिनांक 4.6.19 सरपंच ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा मोहनसिंह, चन्द्रसिंह, गिरधारीसिंह, नरपतसिंह पि0 सांवलराम तथा विमला, राजू पुत्रियां सांवलराम माली के नाम शेष बदस्तूर दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण की पुश्त पर सांवलराम (फौत) की वंशावली का उल्लेख किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तकरण के विरूद्ध अपीलांट–मोहनसिंह व नरपतसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड जोधपुर (उत्तर) के समक्ष अंतर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रथम अपील सं0 19/2019 प्रस्तुत की गई। जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.6.24 के द्वारा अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 403 निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को विधिवत कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्ष किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों एवं लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया ग्राम बालाकुंआ के खसरा नं0 84 रकबा 60.15 बीघा कृषि भूमि में से 35.10 बीघा भूमि सांवलराम, भाणुराम, बस्तीराम, ओमदत्त पि0 रामबक्स की संयुक्त खातेदारी की थी। सांवलराम के हिस्से में 35.10 बीघा भूमि के 1/4 हिस्सा था। सांवलराम के देहांत के बाद ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा फौतेदगी ना0क0सं0 403 सांवलराम के विधिक वारिसों के नाम दिनांक 4.6.19 को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात रेस्पो0सं0 4–गिरधारी सिंह द्वारा रजिस्टर्ड बक्शीश दस्तावेज के द्वारा अपना हिस्सा अपीलांट के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्ष में हस्तांतरण कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप हस्तांतरित हिस्सा अपीलांट के नाम से जरिये नामांतरकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर लिया गया, जो आज भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी व धोखे से करवायी गई है। यदि वसीयत सही होती तो नियमानुसार धारा 135(2) के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जाता। अपीलांट का नाम जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। म्युटेशन अपील में रजिस्टर्ड दस्तावेज को राजस्व न्यायालय द्वारा न तो परीक्षण किया जा सकता है और ना ही खारिज किया जा सकता है। मौके पर अपीलांट का कब्जा है। रेस्पो0 द्वारा इन तथ्यों को छुपाकर व बिना पक्षकार बनाये पेश की गई। जिससे अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही मिला।

वकील अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया अपील में वर्णित भूमि सालराम, भाणुराम, बस्तीराम, ओमदत्त पि0 रामबक्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। अपीलांट मूल खातेदार सावंलराम की पुत्रवधु है। सांवलराम के देहान्त के पश्चात फौतेदगी ना0क0सं0 403 सावलराम के वारिसानों के नाम स्वीकृत किया गया। उसके उपरांत रेस्पो0सं0 1 व 2 के द्वारा अपनी बहनों से मिलीभगत से एक फर्जी वसीयत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जिसमें अपीलांट के पति व बहनों के विरूद्ध बिना नोटिस व बिना सूचना के विधि विरूद्ध तरीके से अपील स्वीकार कर ली गई। फौतेदगी ना0क0सं0 403 भरने के पश्चात गिरधारी सिंह द्वारा उसके हिस्से की भूमि अपीलांट को हस्तांतरित कर दी गई। चूंकि गिरधारी सिंह को कोई नोटिस तामिल नही करवाया गया, इस कारण से न तो गिरधारी सिंह को और ना ही अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय की अपील की जानकारी थी, जबकि अपीलांट गिरधारीसिंह के हस्तांतरण के आधार पर उक्त भूमि में खातेदार होने से उसकी सुनवाई आवश्यक थी। जबकि रेस्पो0सं0 1 व 2 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की बजाय वसीयत के आधार पर ना0क0 भरवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष 135(2) का प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यवाही

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय में आदेशिकाओं में अधिकारी के कही पर हस्ताक्षर नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2 की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.6.24 को पेश किया, जिसमें रेस्पो0सं0 2 व 3 के पति संतोक व जीतू ने निर्णय के पृष्ठ सं0 3 में ऊपर से बाहरवी लाईन में 15.9.08 की जगह 15.9.18 टाईप होने की त्रुटी को दुरूस्त करने का आग्रह किया, जिस पर कोई कार्यवाही नही की गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश त्रुटीपूर्ण है व नॉन स्पीकिंग आदेश है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि रेस्पो0सं0 1 से 6 के पिता स्व0 सांवलराम व भाणुराम, बस्तीराम, ओमदत्त पि0 रामबक्स माली की ग्राम बालाकुआ के खसरा नं0 84 रकबा 60.15 बीघा भूमि मे से 35.10 बीघा कृषि भूमि स्थित है। जिसमें अपीलांट के पिता स्व0 सांवलराम का 1/4 हिस्सा प्रभावित रकबा 8 बीघा 17.5 बिस्वा बनता है। उक्त भूमि के सह खातेदार अपीलांट के पिता की उक्त भूमि स्वअर्जित आय से खरीदी हुई है। सांवलराम द्वारा अपने जीवनकाल में संपूर्ण भूमि का जरिये पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 15.09.2008 द्वारा रेस्पो0सं0 1 से 3–मोहनसिंह, नरपतसिंह व चन्द्रसिंह के हक में कर दी गई। सांवलराम की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी को वसीयत के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु माह नवम्बर 2018 में निवेदन करने पर उसके द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया। इस विश्वास में रहते उक्त भूमि विरासत के ना0क0सं0 403 द्वारा सरपंच ग्रा0पं0 द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई, जिसमें रेस्पो0सं0 4 से 6–गिरधारीसिंह, विमला व राजु पि0 सांवलराम अनाधिकारी होते हुए भी इनका नाम दर्ज कर लिया गया। उक्त ना0क0 बिना कोई जांच व विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा बिना नोटिस दिये बाले–बाले ही पारित कर दिया गया। उक्त ना0क0 में सांवलराम द्वारा निष्पादित वसीयत को नजरअंदाज किया गया है। उक्त वसीयत को अपीलांट एवं अन्य पक्षकार द्वारा सिविल न्यायालय में चुन्नौति नही दी गई है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट द्वारा उक्त अपील सांवलराम के देहांत के बाद ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा फौतेदगी ना0क0सं0 403 सांवलराम के विधिक वारिसों के नाम दिनांक 4.6.19 को पारित करने के तत्पश्चात रेस्पो0सं0 4–गिरधारी सिंह द्वारा रजिस्टर्ड बक्शीश दस्तावेज द्वारा अपना हिस्सा अपीलांट के पक्ष में हस्तांतरण करने एवं उसके आधार पर स्वीकृत ना0क0सं0 425 दिनांक 12.8.21 को लेकर प्रस्तुत की गई है। जबकि सांवलराम द्वारा अपने जीवनकाल में संपूर्ण भूमि का जरिये पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 15.09.2008 द्वारा रेस्पो0सं0 1 से 3–मोहनसिंह, नरपतसिंह व चन्द्रसिंह के हक में कर दी गई। ऐसी स्थिति में विरासत का ना0क0सं0 403 विधिविरूद्ध होने से इसमें से गिरधारी सिंह द्वारा किया गया हस्तांतरण अवैध होने तथा इसके आधार पर पारित ना0क0सं0 403 प्रभावशून्य होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाते हुए, अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटी प्रतीत नही होने से, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) द्वारा राजस्व अपील सं0 19/2019 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2024 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

05/12/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर